All India Road Transport Workers' Federation
P.Ramamurty Bhawan, Plot No 20, M.B.Road,Pushp Vihar Sector 6,Family Court Lane, Saket
New Delhi - 110017, Office: 011-29561432, Mail:airtwf.delhi@gmail.com

President: Nepaldev Bhattacharjee, Ex-M.P
General Secretary: R.Lakshmaiah
Working President: K.K.Divakaran, Ex-M.L.A
Treasurer: C.K.Harikrishnan

दिनांक: 18-08-2023

प्रति,

श्री नितिन गड़करी जी,
माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री,
भारत सरकार,
परिवहन भवन,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

विषय: पीएम ई बस सेवा योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। एसटीयू को खरीद-संचालन और रखरखाव की अनुमति देने का निवेदन - राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) को सब्सिडी और व्यवहार्यता अंतर निधि दी जाए।

हम आपका ध्यान हाल की कैबिनेट बैठक के फैसलों के संबंध में मीडिया रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। यह खबर है कि सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के तहत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है, जिसकी लागत 57,613 करोड़ रुपये है। इसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। यह इलेक्ट्रिक बस योजना पीपीपी मॉडल के तहत संचालित की जाएगी।

यह याद दिलाना आवश्यक है कि फ़ेम 1 और 2 के तहत इलेक्ट्रिक बसें जीसीसी मॉडल के तहत संचालित की जा रही हैं। अनुभव यह है कि यह जीसीसी मॉडल राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए सफेद हाथी बन गया है और राज्य परिवहन उपक्रमों का राजस्व निजी ऑपरेटरों के पास चला जा रहा है।

राज्य परिवहन उपक्रमों का गठन राज्य सरकारों द्वारा आरटीसी अधिनियम 1950 के तहत किया गया था और ये शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और आंतरिक गांवों जैसे सभी क्षेत्रों में लोगों को किफायती टिकट किराए पर बस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही वे सरकारी खजाने को नियमानुसार सभी करों का भुगतान कर रहे हैं। राज्य परिवहन उपक्रम कम दुर्घटना दर और कम एचएसडी तेल की

खपत दर्ज करता है और आरक्षण के नियम का पालन करते हुए बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करता है।

इस समय, गंभीर वित्तीय संकट में फंसे राज्य परिवहन उपक्रमों को समर्थन देना, मजबूत करना और विस्तार करना समय की मांग है। विडंबना यह है कि पीपीपी मोड के तहत इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने के कैबिनेट के फैसले से मौजूदा राज्य परिवहन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और खराब हो जाएगी और उन्हें बंद करने की नौबत आ सकती है।

उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में, आपसे अनुरोध है कि राज्य परिवहन उपक्रमों को पीएम इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, संचालन और रखरखाव की अनुमति देने के लिए आप अपने अधिकारों का उपयोग करें, तथा राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए सब्सिडी, व्यवहार्यता गैप फंडिंग का विधिवत विस्तार करें।

हमें उम्मीद है, आप सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे और आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

सादर

R. Lakshmaiah

(आर.लक्ष्मैया)

महासचिव